REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2023

पंचायतीराज में महिला आरक्षण का महिला सहभागिता पर प्रभाव : बागपत जनपद के सन्दर्भ में 2010 के पंचायती चुनाव का एक अध्ययन

मंजू
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग,
चौ. चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ.

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायतीराज में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने के बाद महिला सहभागिता पर क्या प्रभाव पड़ा है, को जानने का प्रयास किया गया है। पंचायतीराज में महिलाओं की वास्तविक सहभागिता की क्या प्रगति हुई है एवं समाज में महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार आया की विस्तृत विवेचना की गयी है।

मुख्य शब्द– पंचायतीराज, आरक्षण, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, महिला सहभागिता।

प्रस्तावना

हमारे देश में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की हैं अतः राष्ट्र के विकास में पुरूषों के बराबर भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिये। 73वां संविधान संशोधन इस दिशा में ऐतिहासिक कदम है, क्योकि हममें ना केवल पंचायतीराज संस्थाओ को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है वरन् इस संस्थाओं में महिलाओं के लिये एक–तिहाई सीटें भी आरक्षित की गयी हैं।

महिलाओं के प्रति उपेक्षा भाव के लिये उत्तरदायी है, उनकी सदियों की दासता और उस दासता से उत्पन्न संस्कारों की जड़बद्धता, वैदिक युग की ग्रामीण नारी पुरूषो के समकक्ष थी। वह स्वतन्त्र और सम्माननीयथी। श्रम और सम्पत्ति में बराबर की अधिकारिणी थी। वे गृह स्वामिनी तो थी ही किन्तु उनका कार्यक्षेत्र घरो तक ही सीमित नहीं था।

असाधारण विचारिका और पंडिता भी होती थी। सांमतो के अहंकार तथा नवाबो की विलासिता के कारण वैदिक युग की स्वतंत्रता चेता, विदुषी, परिश्रमी ग्रामीण नारी अपने स्वाभिमान और आबरू की रक्षा के लिये पर्दे मे रहने लगी। वह पर्दा धीरे–धीरे इतना सुदृढ़ होता गया कि उसमे शरीर के साथ नारी की आत्मा को भी ढक लिया।समाज ने नारी को केवल प्राचीन गौरवगाथा का प्रदर्शन मात्र बना दिया।

आधुनिक युग के आगमन तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रवेश के साथ ही महिलाओ के उत्थान के प्रयास होने लगे। यह आवश्यक समझा जाने लगा कि नारी सहभागिता के बिना देश का, समाज का समग्र विकास संभव नही हैं। नारी उत्थान के लिये आवश्यक था नारी का शिक्षित होना और पुरूषों की समकक्षता। महिलाओ को जागरूक बनाने तथा उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मे सुधार लाने के लिये संविधान का 73वां संशोधन इस क्षेत्र मे उठाया गया एक ठोस कदम हैं।

परिचय–पंचायतराज का विकास

भारत पंचायतीराज अवधारणा का जनक है। प्राचीनकाल में ग्रामीण क्षेत्र की समस्त समस्याओं का समाधान पंचायते ही करती थी। अंग्रेजी शासनकाल में पंचायतो का स्थान प्रांतीय सरकारो ने ले लिया लेकिन वे इस संकल्पना को समाप्त नही कर सके। 2 अक्टूबर 1952 में पंडित जी की पहल पर प्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जो पंचायतीराज का प्रथम सोपान निरूपित हुआ, परन्तु सामुदायिक विकास कार्यक्रम का यह प्रथम प्रयास अपने उद्देश्य को प्राप्त नही कर सका। जन सहयोग को बढाने तथा प्रशासन में सीधी भागीदारी के लिए 2 अक्टूबर 1957 को बलवन्तराय मेहता समिति गठित की गयी।

इस समिति ने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित त्रिस्तरीय पंचायतराज को स्थापित करने की अनुशंसा की , ये त्रिस्तर है – ग्रामस्तर परग्राम पंचायत , मध्यस्तर पर पंचायत समिति, खण्ड समिति तथा गाँधी जयंती के दिन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जी ने पंचायतीराज कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया। इसके बाद आंध्रप्रदेश देश का दूसरा राज्य बना जिसने इसे लागू किया । 1977 को श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन हुआ। समिति ने सिफारिश की कि पंचायतीराज संस्थाओं के संगठन में मात्र दो स्तर हो प्रथम जिला परिषद् व द्वितीय मंडल पंचायत। वर्ष 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के हेतु सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था करनेके लिए एक समिति गठित की गयी। इस समिति के अध्यक्ष डा0 जी0ही0के0 राव ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद् व जिला स्तर पर जिला परिषद् तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के गठन की सिफारिश की। सन् 1986 में एल0 एम0 लक्ष्मी सिंघवी समिति ने न्याय पंचायत की स्थापना का सुझाव दिया।

संविधन के 73 वें संशोधन 1993 के फलस्वरूप देश की ग्रामीण पंचायतो में महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस आरक्षण व्यवस्था के परिणामस्वरूप देश मे 14 लाख महिलाओं को जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हुआ, इस प्रकार इन्हे राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का सुअवसर प्राप्त हुआ।

अध्ययन की उपादेयता

हमारा अध्ययन क्षेत्र बागपत उत्तर प्रदेश के निरन्तर विकासशील जिलो में से एक है। लेकिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीति स्थिति में वहाँ आज तक कोई विशेष विकास नही हो पाया है। अशिक्षा, अज्ञानता, निम्न सा0–आ0 स्तर, पुरूष प्रधानता के कारण महिलाओ का उचित विकास नही हो पाया है। राजनीति में प्रतिनिधि व मतदाता के रूप में महिलाओं की सहभागिता आज भी बहुत कम है।

सम्बन्धित साहित्यावलोकन व शोधा पत्रो के अध्ययन करने के पश्चात् हमे ज्ञात हुआ कि ग्रामवासी महिलाओ को चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में देखना पसन्द नही करते क्योकि उन्हे लगता है इससे महिलाएँ अपने अधिकारों से परिचित होकर अपने हक की माँग करने लगेगी यदि कोई महिला निर्वाचन में प्रतिनिधि के रूप में विजयी हो भी जाती है तो वह अपनी इच्छा से प्रशासन नही सभाँल पाती क्योकि उसे अपने पिता या पति की इच्छानुसार काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि महिलाएँ अपने पसन्द के प्रतिनिधि को स्वतन्त्र रूप से वोट भी नही डाल सकती। उसे अपने पति, भाई, पिता की इच्छानुसार वोट डालने पर विवश होना पड़ता है। प्रस्तुत शोधपत्र में शोधार्थी ने उपरोक्त तथ्यो की सत्यता को बागपत जिले के सन्दर्भ मे ज्ञात करने का प्रयास किया हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बागपत जनपद में पंचायतीराज में महिला आरक्षण का महिला सहभागिता पर प्रभाव को जाँचना है। इसके हेतु हम इस अध्ययन के लिए निम्न उद्देश्यों का अध्ययन करेगें।

1. बागपत जनपद के सन्दर्भ में पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओ के सेवैधानिक ज्ञान का पता लगाना।
2. पंचायत में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करना।
3. निर्वाचित महिला के राजनीति सशक्तिकरण को समझना।
4. राजनीति में महिलाओं की वास्तविक सहभागिता को कैसे बढाया जाये उसके लिये उपाय खोजना।

परिकल्पना

शोध अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व हमने साहित्य अवलोकन के आधार पर कुछ पूर्व परिकल्पनाओं का निर्माण किया है। जिसका परीक्षण आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष से किया जायेगा। अध्ययन से सम्बन्धित पूर्व परिकल्पनाएँ निम्न प्रकार हैं–

1. महिला प्रतिनिधि के निर्वाचित होने और उनके वर्ग विशेष की सदस्यता के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध हैं।
2. निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की राजनीति में स्वंय की कोई रूचि हैं।
3. महिला प्रतिनिधि के निर्वाचित होने और उनकी शिक्षा के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध हैं।
4. पंचायत स्तर पर महिलाओं की निर्वाचक सहभागिता संख्यात्मक रूप से बढी है, लेकिन गुणात्मक रूप से नही।

जनसांख्यिकी

2011 की जनगणना के अनुसार बागपत की जनसँख्या 1330048 हैं। इस क्षेत्र का लिंगाानुपात 861 हैं। साक्षरता 72.01 प्रतिशत है। यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा हिन्दी व उर्दू है। बागपत क्षेत्र में हिन्दू – 67 प्रतिशत, मुस्लिम 32 प्रतिशत, ईसाई – 0.2 प्रतिशत अन्य धर्म 2.8प्रतिशत है। जिसमें मुख्य जाति जाट, यादव, गुर्जर, त्यागी, राजपूत और दलितों के अलावा एक बडी संख्या मुस्लिमों की है।

बागपत पंचायत व्यवस्था
बागपत (अध्ययन क्षेत्र)
तहसील (03)

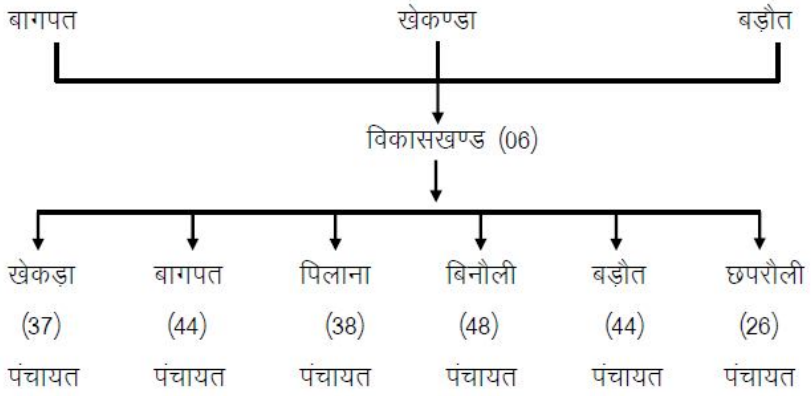

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र के 2010 के पंचायती चुनाव में इन कुल 237 पंचायतों में निर्वाचित 103 महिला प्रधानो मे से 60 निर्वाचित महिला प्रधानो को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया है। न्यादर्श का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि द्वारा किया गया है।

आँकड़ो का संग्रह

अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीय आँकड़ो पर आधारित हैं। प्राथमिक डेटा संरचित साक्षात्कार अनुसूची और निश्चित विकल्पयुक्त प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया है। द्वितीय आँकड़े को सन्दर्भित पुस्तको, लघु शोध सारांशो प्रकाशित व अप्रकाशित लेखो से एकत्रित किया गया है। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर कार्य कर रहे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, राज्य और केन्द्र सरकार विभाग की वेबसाइट का भी समय–समय पर अवलोकन किया गया है।

तालिका– 1.1

प्रश्न नं01 : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले मे 2010 के पंचायती चुनाव मे निर्वाचित महिला प्रधानो का आयु, धर्म तथा वर्ग के अनुसार वर्गीकरण

(1) आयु के अनुसार वर्गीकरण				(2) धर्म के अनुसार वर्गीकरण				(3) वर्ग के अनुसार वर्गीकरण			
क्र0सं0	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत	क्र0सं0	धर्म	आवृत्ति	प्रतिशत	क्र0सं0	धर्म	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	25–35	24	40	1.	हिन्दू	47	78.33	1.	सामान्य	23	38.33
2.	35–45	21	35	2.	मुस्लिम	13	21.66	2.	पिछड़ा वर्ग	30	50
3.	45–55	15	25					3.	अनुसूचित जाति	07	11.66
	योग	**60**			**योग**	**60**			**योग**	**60**	

तालिका– 1.2

शिक्षा के अनुसार वर्गीकरण

क्र0 सं0	शिक्षा वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत	प्रश्न नं02 : आपके गांव में चुनाव लड़ने का निर्णय कौन लेता है?			
				क्र0सं0	आवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	प्राथमिक	10	16.66	1.	गांव की जागरूक महिलाएँ	04	6.66
2.	उच्च प्राथमिक	14	23.33	2.	गांव के बुजुर्ग	08	13.33
3.	हाईस्कूल	12	20	3.	परिवार का मुखिया	16	26.66
4.	माध्यमिक	03	05	4.	महिला प्रत्याशी का पति पिता	32	53.33
5.	उच्च	08	13.33				
6.	निरक्षर	13	21.66				
	योग	**60**			**योग**	**60**	

तालिका– 1.3

प्रश्न नं0–3	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत	प्रश्न नं0–7	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
क्या आपकी राजनीति में स्वयं की कोई रूचि हैं।	हाँ नी	12 48	20 80	महिलाओ के लिए आरक्षण का क्या आधार होना चाहिए।	आर्थिक स्थिति धर्म लिंग	15 – 10 35	25 – 16.66 58.33
	योग	**60**			**योग**	**60**	
प्रश्न नं0–4	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**	**प्रश्न नं0–8**	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
क्या आप कभी भी समिति की बैठको में भाग लेने गए थे?	हाँ नही	33 27	55 45	क्या आप पंचायत से सम्बन्धित निर्णय स्वयं लेने का अधिकार रखती है या आपके स्थान पर आपके पिता/पति निर्णय लेते हैं।	स्वंय पिता/पिता स्वयं व पिता/पति दोनो	13 35 12	21.66 58.33 20
	योग	**60**			**योग**	**60**	
प्रश्न नं0–5	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**	**प्रश्न नं0–9**	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
यदि हाँ तो क्या आप चर्चा में भाग लेने गए थे?	हाँ नही	25 8	75.75 24.24	क्या आगे आरक्षण महिलाओं के लिये कुछ लाभ लायेगा?	हाँ नही	51 9	85 15
	योग	**60**			**योग**	**60**	
प्रश्न नं0–5	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**				
क्या आर्थिक रूप से सम्पन्न महिलाएँ ही निर्वाचन में प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होती हैं।	हाँ नही	12 48	20 80				

	योग	**60**					

तालिका– 1.4

प्रश्न नं0–10	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
आगे आरक्षण विधेयक किस प्रकार लाभ लायेगा?	महिलाओ में जागरूकता आयेगी। वे अधिक आत्मनिर्भर बनेगी और उनका हौंसला बढ़ेगा। समाज में उनका महत्व बढ़ेगा। उन पर होने वाले अत्याचारों मे कमी आयेगी।	13 07 18 12	25.49 13.72 35.29 23.52
प्रश्न नं0–11	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
पंचायतीराज में निर्वाचित महिला प्रधान कार्य किस प्रकार करती है।	सम्बन्धों के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर वोटों के आधार पर पति के कहने पर	07 22 03 28	11.66 36.66 05 46.66
	योग	**60**	
प्रश्न नं0–12	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
पंचायतीराज में महिलाओ की भागेदारी बढ़ाने हेतु सबसे ज्यादा जरूरी क्या हैं?	शिक्षा जागरूकता आरक्षण सुरक्षा	10 33 04 13	16.66 55 6.66 21.66
	योग	**60**	

तालिका– 1.5

प्रश्न नं0–13	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
पंचायतीराज में निर्वाचित महिलाओ को किस प्रकार की समस्याओ का सामना करना पड़ता हैं।	पारिवारिक सामाजिक व्यक्तिगत सुरक्षात्मक	12 36 07 05	20 60 11.66 8.33
	योग	**60**	
प्रश्न नं0–14	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
राजनीति जागरूक महिलाओ के लिये सबसे अच्छा प्लेटफार्म क्या हैं?	ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत	35 04 21	58.33 6.66 35
	योग	**60**	
प्रश्न नं0–15	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
पंचायतीराज में महिलाओ की भूमिका को लेकर आपके क्या सुझाव हैं?	महिलाओं को स्वयं निर्णय करने का अधिकार महिलाएँ उच्च शिक्षित हो। पारिवारिक एवं सामाजिक मान्यताओं को ज्यादा हावी न होने दे। महिलाओ को आत्मनिर्भर बनना चाहिए।	28 08 14 10	16.66 55 6.66 21.66
	योग	**60**	

निष्कर्ष

सर्वेक्षण में 60 महिला ग्राम प्रधानों से साक्षात्कार द्वारा सम्पर्क साधा गया। परिणाम इस प्रकार हैं। – सर्वाधिक 40 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान 25–35 आयु वर्ग की है जबकि सबसे कम 25 प्रतिशत प्रधान 45–55 आयु वर्ग की है। 78 प्रतिशत महिला प्रधान हिन्दू व 21 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से निर्वाचित हुई । मुस्लिमों का प्रतिशत हिन्दू की अपेक्षा बहुत कम रहा। 38 प्रतिशत महिला प्रधान सामान्य वर्ग से, 50 प्रतिशत पिछड़े वर्ग से

व कुल 11 प्रतिशत ही अनुसूचित जाति से निर्वाचित हुई। सर्वाधिक महिला प्रधान पिछड़े वर्ग जिसमें मुख्य जाति जाट से निर्वाचित हुई।

सर्वेक्षण के दौरान (महिला प्रधान) उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता का पता लगाने का प्रयास किया गया जिससे पता चला है कि 16 प्रतिशत महिला प्रधान प्राथमिक शिक्षा, 23 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शिक्षा, 20 प्रतिशत हाईस्कूल , 5 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा, 13 प्रतिशत महिला प्रधान उच्च शिक्षा प्राप्त हैं लेकिन 26 प्रतिशत उत्तरदात्ता निरक्षर है।

अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 26 प्रतिशत महिला प्रधान निरक्षर है। जो पंचायत से सम्बन्धित दस्तावेजो पर हस्ताक्षर तक नही कर सकती उनके स्थान पर उनके पति उनके हस्ताक्षर करते है।

लगभग 27 प्रतिशत महिला प्रधान पंचायतों के कामकाज की पूर्ण जानकारी रखती है लेकिन 37 प्रतिशत उत्तरदाताओ को पंचायतीराज से सम्बन्धित बिल्कुल जानकारी नही है। 53 प्रतिशत महिला प्रधानो का बताना है कि उनके गाँवों में चुनाव लड़ने का निर्णय उनके पति लेते है। लगभग 40 प्रतिशत ने उत्तर दिया कि परिवार का मुखिया व गाँव के बुजुर्ग निर्णय करते हैं।20 प्रतिशत महिला प्रधान राजनीति मेंरूचि रखती हैं लेकिन 80 प्रतिशत महिला प्रधान वे हैं जिनकी स्वयं की राजनीति में बिल्कुल भी रूचि नही है।

आगे सर्वेक्षण से पता चलता हैं कि 55 प्रतिशत महिला प्रधान ही समिति की बैठको में भाग लेने गयी लेकिन 45 प्रतिशत वे महिलाएँ भी मिली जो कभी भी समिति की बैठको में भाग लेने गयी ही नही। जो महिलाएँ समिति की बैठको में भाग लेने गयी उनमे से लगभग 76 प्रतिशत महिला प्रधान ही चर्चा में भाग लेने गयी बाकि 24 प्रतिशत महिला प्रधान केवल हस्ताक्षर मात्र करने के लिए गयी। 20 प्रतिशत महिला प्रधानो का मानना है कि आर्थिक रूप से सम्पन्न महिलाएँ ही निर्वाचन में प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होती है। लेकिन 60 प्रतिशत महिला प्रधान आर्थिक रूप से सम्पन्न महिलाओ का ही निर्वाचन मे प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना स्वीकार नही करती ।58 प्रतिशत महिला प्रधान लिंग को आरक्षण का आधार उचित मानती है जबकि 25 प्रतिशत महिला प्रधान वे हैं जो जाति को आरक्षण का आधार मानती है इसके साथ ही लगभग 17 प्रतिशत महिला प्रधान वे हैं जो धर्म को आरक्षण का आधार मानती है। 58 प्रतिशत का मानना है कि उनके स्थान पर उनके पति/पिता पंचायत से सम्बन्धित निर्णय लेते हैं जबकि 22 प्रतिशत महिलाएँ ही स्वयं निर्णय लेने का अधिकार रखती है। जिससे पता चलता है कि अधिकांशतः महिला प्रधान के नाम पर उनके पति/पिता पंचायती करते हैं महिलाएँ तो रबर की मुहर मात्र हैं। 20 प्रतिशत उत्तरदाता आरक्षण को समाप्त करने के पक्ष में थे जबकि 80 प्रतिशत महिला प्रधान ये मानती है कि अलग से महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त नही होना चाहिए। 25 प्रतिशत महिला प्रधान ये मानती है कि आरक्षण का लाभ यह होगा कि महिलाओ मे जागरूकता आयेगी। लगभग 14 प्रतिशत महिला प्रधानें का यह मानना है कि वे अधिक आत्मनिर्भर बनेगी और उनका हौंसला बढ़ेगा। लगभग 24 प्रतिशत महिला प्रधान मानती है कि इससे महिला, महिलाओं व बच्चों के विकास की बात सोचेगी।

इससे निष्कर्ष यह निकलता हैं कि महिला आरक्षण से अधिक से अधिक महिलाएँ घर की चारदीवारी लाँघकर राजनीति में प्रवेश करेगी जिससे उनका समाज में महत्त्व बढ़ेगा और उन पर होने वाले अत्याचारों में कमी आयेगी।47 प्रतिशत महिला प्रधान अपने पति के कहने पर पंचायत से सम्बन्धित कार्य करती हैं। जबकि 37 प्रतिशत महिला प्रधान वे हैं जो प्राथमिकता के आधार पर कार्य करती है।

निष्कर्षतः–अधिकांश महिला प्रधान अपने पति के कहने पर कार्य करती हैं। प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने वाली महिला प्रधानों का प्रतिशत बहुत कम है।

अधिकांशतः महिला प्रधान पंचायती स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु जागरूकता को सबसे ज्यादा जरूरी मानते है क्योकि जागरूकता के अभाव में शिक्षा व आरक्षण का कोई औचित्य नही हैं।

सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से पंचायतीराज में महिलाओं की भूमिका को लेकर सुझाव लिये गये जिसमें लगभग 47 प्रतिशत सर्वाधिक (महिला प्रधान) उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया कि महिलाओं को स्वयं निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, 13 प्रतिशत यह मानते हैं कि महिलाएँ उच्च शिक्षित होनी चाहिए, 23 प्रतिशत का सुझाव यह रहा कि महिलाएँ पारिवारिक एवं सामाजिक मान्यताओं को ज्यादा हावी न होने दें लगभग 17 महिला प्रधानों ने सुझाव दिया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए।

इससे निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक महिला प्रधानों ने पंचायतीराज में महिलाओं की भूमिका को लेकर स्वयं निर्णय करने का अधिकार, पारिवारिक व सामाजिक मान्यताओं को ज्यादा हावी न होने देने का सुझाव दिया हैं।

सुझाव

शोध अध्ययन के दौरान बहुत–सी समस्याओं व बातों का ज्ञान हुआ जिनको हल करके पंचायतीराज में महिलाओं की वास्तविक भूमिका को बढ़ाया जा सकता हैं। अतः इसके लिए कुछ सुझाव दिये हैं जो निम्न हैं–

महिलाओं को साक्षर नही शिक्षित बनाना होगा जिससे कि वे राजनैतिक क्षेत्रों में विवेक सम्मत निर्णय लेकर शासन व्यवस्था को चला सकें।7 सितम्बर 2015 को हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता सम्बन्धी विधेयक लागू हुआ। हरियाणा के समान ही उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता का प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

महिलाओं को राजनैतिक शिक्षा प्रदान की जाये, अनेक प्रशिक्षण दिये जाये जिससे कि वे अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सके।पंचायतो में कार्यरत महिलाओ को समय समय पर नए कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए तथा वर्तमान में चालू कार्यक्रमों में उन्हें कितने संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसकी जानकारी भी दी जाए। तभी वें ग्राम के लिए प्रभावशाली योजनाएँ बना सकेगी व विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य तक पहुँच पाँएगी।

महिला प्रधान आवश्यक जानकारियों के अभाव में आत्म निर्णय नही ले पाती। इसके निदान के लिए आवश्यक हैं। कि उन्हे ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली उनकी भूमिका पर समय–समय पर मीडिया, पत्र–पत्रिकाओं द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाए।साथ ही रेडियो व टी0 वी0 प्रसारणों में वार्ताओं व विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को ध्यान में रखकर सूचनाओं का प्रसारण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पंचायत में महिला नेतृत्त्व को सफल बनाने के लिए महिला प्रधानों को ग्रामीण विकास के प्रति समर्पित होना होगा तथा स्वयं में अधिक जागरूकता व आत्मनिर्भरता उत्पन्न करनी होगी। तभी पंचायतीराज में महिलाओं के लिए आरक्षण सार्थक सिद्ध हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अम्बेडकर एस0 नगेन्द्र एवं शैलजा नगेन्द्र "महिलाएँ और पंचायतीराज" एम0 बी0 डी0 पब्लिकेशन, जयपुर–302015 (राजस्थान), भारत, पृ0सं0 133–136
- चतुर्वेदी इनाक्षी, सीमा अग्रवाल, "महिला नेतृत्त्व एवं राजनीतिक सहभगिता",आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर–302003 (राजस्थान)
- कौल शशि एवं श्रद्धा साहनी (कमलाराज 2009) "पंचायतीराज संस्था में महिला की सहभागिता का अध्ययन"
- कुमार जयेश एवं विजेसिहँ के0 पागी (2012), "भारत में महिलाओं का स्तर" सारथी पब्लिकेशन, आनन्द
- पडलिया मुन्नी (2009) "भारत में पंचायतराज व्यवस्था", अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा लि0) अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली 110002, पृ0सं0 68–72
- रघुबेन्द्र चट्टोपाध्याय और एस्थर डेफलो द्वारा पंचायतीराज में आरक्षण का प्रभावः एक राष्ट्रव्यापी या दृच्छिक प्रयोग से साक्ष्य नवंबर (2003)
- रहमान जैनब "ग्रामीण भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरणः उत्तराखण्ड़ का अध्ययन" कल्पज प्रकाशन, दिल्ली–110052
- शर्मा श्री नाथ, मनोज कुमार सिहँ (2002), "पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास", आदित्य पब्लिशर्स, बीना (म0 प्र0)
- त्यागी रूचि (2007) "पंचायतीराज व्यवस्था में महिला की सहभागिता",दक्षिण एशिया राजनीति, वाल्यूम–6 (3) जून
- विप्लव (2012) "भारत में महिला मानवाधिकार" , राहुल पब्लिशिंग हाऊस 36516 , शास्त्री नगर, मेरठ (उ0 प्र0)

➢ उपाध्याय सर्वेश्वर, अरविन्द जैन (2007) "भारतीय लोकतन्त्र की खंडित होती गरिमा और उठते सवाल", अमन प्रकाशन कीर्ति स्तम्भ, कटरा सागर (म0 प्र0) सं0–368–369